



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016
फोन: 0755-2464428,2466191 फ़ैक्स: 0755-2463742 ईमेल:cl_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 367 /के.प्रयो./मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 4/08/2016

प्रति,

आई.टी. शाखा (बोर्ड वेबसाइट हेतु)
म.प्र. प्र.नि. बोर्ड
भोपाल।

विषय:- केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अनुपयोगी (स्केप) सामग्री के विक्रय हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रण बाबत ।

केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में अनुपयोगी (स्केप) सामग्री का विक्रय "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर किये जाने हेतु दिनांक 29/02/2016 तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं । जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी उपलब्ध है । अनुपयोगी (स्केप) सामग्री की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक	अनुपयोगी सामग्री का नाम/स्केप का प्रकार
01.	सोलर वाटर हीटिंग (आयरन स्केप, कॉपर स्केप, एल्यूमीनियम स्केप)
	(अ) वाटर टैंक
	(ब) वाटर स्टैंड
	(स) कॉपर ट्यूबिंग
02.	रिनोवेशन के कारण पुराना पार्टीशन स्केप, एल्यूमीनियम स्केप
	(अ) पार्टीशन गेट (6" * 4")
	(ब) एल्यूमीनियम फिटिंग रीप
	(स) एल्यूमीनियम पार्टीशन फ्रेम
03.	पुराना ग्रीन हाउस आयरन स्केप
	(अ) जी आई पाईप (2") (ब) जी आई पाईप (1/2")
04.	कूलर
05.	ट्यूब रॉड बाक्स
06.	कूलर स्टैंड
07.	कुर्सिया (केन, रिवाल्विंग)
08.	एनालिसिस टेबल
09.	प्लाई बोर्ड पार्टीशन (6" * 4")
10.	पार्टीशन ग्लास
11.	इलेक्ट्रिक केबल

क्रमशः...2



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016

फोन: 0755-2464428, 2466191 फैक्स: 0755-2463742 ईमेल: cl_mppcb@rediffmail.com

-2-

अनुपयोगी (स्केप) सामग्री विक्रय की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. मुहरबंद कोटेशन पर "अनुपयोगी (स्केप) सामग्री का विक्रय हेतु कोटेशन" लिखा होना चाहिए ।
2. मुहरबंद कोटेशन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम दिनांक 29/02/2016 अपरान्ह 12:00 बजे तक है तथा उसी दिनांक को अपरान्ह 01:00 बजे कोटेशन खोले जावेंगे ।
3. सामग्री विक्रय का न्यूनतम मूल्य राशि रू. 45,000.00 निर्धारित किया गया है । केवल उच्चतम दरों के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जावेगा ।
4. उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक कर सकते हैं ।
5. सामग्री को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हटाने के लिए अनुमति पत्र जारी होने पर तत्काल हटाना होगा ।
6. सामग्री का "जैसा है, जहाँ है" आधार पर निपटान किया जाना है अतः सामग्री हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सरल ढंग से होनी चाहिए । किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के परिसर से सामग्री हटाते समय किसी भी आपत्तिजनक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी ।
7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल